

फाइल नं० - 0809021

परिपत्र संख्या-विधि-2(1)फार्म मिसिंग-(2007-2008)/ 2129 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक // 31 मार्च, 2008

नोटिस

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम -13 के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी, जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म की संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1	मेसर्स एस०एस०सैफ्टी प्रोडक्ट्स दादा नगर, कानपुर	फार्म-"सी" संख्या-0229955	खोने के कारण	01
2	मेसर्स लक्की गारमेन्ट्स पुल दालमण्डी सहारनपुर	फार्म-"सी" संख्या-0943864 एवं 0943865	खोने के कारण	02
3	मेसर्स अशोका निट वियर्स हिरन मासन सहारनपुर	फार्म-"सी" संख्या-0344008	खोने के कारण	01

(भारत सिंह)

एडीशनल कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, 30प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- महालेखाकार, 30प्र० 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।
- 5- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यवाही) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस के तहत प्रकाशित तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 8- ज्वाइन्ट कमिशनर (उच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य इलाहाबाद, लखनऊ।
- 9- समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 11- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 12- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ।

(सुशील कुमार दुबे)

वाणिज्य कर अधिकारी (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय।